

प्रेषक,

रमेश चन्द्र धिल्डियाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(बे०)
उ०प्र०, लखनऊ ।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक ०९ मार्च 2010

विषय:- मदर गीता इन्टरनेशनल स्कूल, अमेठी, सुल्तानपुर को नर्सरी से कक्षा-8 तक की अंग्रेजी माध्यम से 'ब' श्रेणी की अस्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक-शिनो(बे०)/अ०मा०/21383/2009-10 दिनांक 16-11-2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत विद्यालय को नर्सरी से कक्षा-8 तक की अंग्रेजी माध्यम से 'ब' श्रेणी की अस्थायी मान्यता दिए जाने की संस्तुति की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि प्रश्नगत विद्यालय में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्निशमन उपकरण लगा दिया गया है एवं अग्निशमन अधिकारी से प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर लिया गया है तथा विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मदर गीता इन्टरनेशनल स्कूल, अमेठी, सुल्तानपुर को नर्सरी से कक्षा-8 तक की अंग्रेजी माध्यम से 'ब' श्रेणी की अस्थायी मान्यता शासनादेश संख्या-2926 / 15-6-95-18(20)/91 दिनांक 14-12-1995 में निहित मानकों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

अतः तदनुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र धिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत विद्यालय की अस्थायी मान्यता अग्निशमन अधिकारी अमेठी सुल्तानपुर एवं अवर अधीयता टाउन एरिया, अमेठी, सुल्तानपुर द्वारा दिए गये प्रमाण पत्र (अग्नि सुरक्षा/नेशनल बिल्डिंग कोड) के आधार पर दी गयी है।
- 2- सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
- 3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० 58 जगत नारायण रोड, लखनऊ।
- 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर।
- 6- प्रबन्धक, मदर गीता इन्टरनेशनल स्कूल, अमेठी, सुल्तानपुर।
- 7- निजी सचिव, मा० बेसिक शिक्षा मंत्री जी।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(रमेश चन्द्र धिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

रमेश चन्द्र धिल्डियाल
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(बे०)
उ०प्र०, लखनऊ ।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक ०९ मार्च, 2010

विषय - मदर गीता इन्टरनेशनल स्कूल, अमेठी, सुल्तानपुर को नर्सरी से कक्षा-8 तक की अंग्रेजी माध्यम से 'ब' श्रेणी की अस्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक-शि०नि०(बे०)/अ०मा०/21383/2009-10 दिनांक 16-11-2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत विद्यालय को नर्सरी से कक्षा-8 तक की अंग्रेजी माध्यम से 'ब' श्रेणी की अस्थायी मान्यता दिए जाने की संस्तुति की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि प्रश्नगत विद्यालय में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्निशमन उपकरण लगा दिया गया है एवं अग्निशमन अधिकारी से प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर लिया गया है तथा विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मदर गीता इन्टरनेशनल स्कूल, अमेठी, सुल्तानपुर को नर्सरी से कक्षा-8 तक की अंग्रेजी माध्यम से 'ब' श्रेणी की अस्थायी मान्यता शासनादेश संख्या-2926 / 15-6-95-18(20)/91 दिनांक 14-12-1995 में निहित मानकों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

अतः तदनुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र धिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत विद्यालय की अस्थायी मान्यता अग्निशमन अधिकारी अमेठी सुल्तानपुर एवं अवर अभियंता टाउन एरिया, अमेठी, सुल्तानपुर द्वारा दिए गये प्रमाण पत्र (अग्नि सुरक्षा/नेशनल बिल्डिंग कोड) के आधार पर दी गयी है।
 - 2- सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
 - 3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल।
 - 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० 58 जगत नारायण रोड, लखनऊ।
 - 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर।
 - 6- प्रबन्धक, मदर गीता इन्टरनेशनल स्कूल, अमेठी, सुल्तानपुर।
 - 7- निजी सचिव, मा० बेसिक शिक्षा मंत्री जी।
 - 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(रमेश चन्द्र धिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।